नगरीय निकायों में विकास कार्यों की अनदेखी, कागज में दिखता है विकास

अमानगंज को छोड़ पूरे जिले के नगरीय निकाय प्रभार के भरोसे, प्रभार के निकायों में दो दिन भी नहीं दे पा रहे प्रभारी सीएमओ

नवभारत न्यूज

पन्ना, 12 अप्रैल। जिले की एकमात्र नगर पालिका सहीत लगभग सभी नगर परिषदों की विकास व्यवस्था या तो ठप्प हो चुकी है, या फिर स्तरहीन हो रही है। इन कुव्यवस्थाओं से नगर परिषदों के अध्यक्ष परेशान हैं। या यह भी कहा जा सकता है कि नगर परिषदों की व्यवस्थाएं इन दिनों गंभीर प्रशासनिक संकट से जूझ रही है। एक ही अधिकारी को दो या तीन नगर परिषदों का अतिरिक्त प्रभार दिए जाने से विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) एवं इंजीनियर अपने मूल पदस्थ स्थान के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार वाली नगर परिषदों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे हैं। परिणामस्वरूप, विकास कार्यों की गति धीमी हो गई है इस प्रशासनिक शिथिलता के कारण, विकास कार्यों के भुगतान के लिए कमीशन का खेल हावी हो गया है, जिससे वित्तीय अनियमितताओं की संभावना बढ़ गई है। जो सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की ओर इशारा करती है। स्थिति यह है कि राजस्व उपनिरीक्षकों एवं लेखपालों को प्रभारी सीएमओ बनाकर दो या तीन नगर परिषदों का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जिसके कारण वह किसी भी कार्यालय को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे है। नतीजतन, नगरीय क्षेत्रों की जनता से जुड़ी आवश्यक सेवाओं और गतिविधियों का संचालन प्रभावित हो रहा है। साथ ही, शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन भी अपेक्षित ढंग से नहीं हो पा रहा है। सूत्रों के अनुसार, प्रभारी सीएमओ एवं इंजीनियर केवल उन्हीं कार्यों पर ध्यान दे पा रहे हैं जिनमें उन्हें प्रत्यक्ष लाभ होता है, विशेषकर वित्तीय आहरण और उससे जुड़े कमीशन वाले कार्य। प्राप्त जानकारी के अनुसार, पन्ना जिले में कुल 5 नगर परिषदें एवं एक नगर पालिका संचालित हो रही है। इनमें लंबे समय से प्रभारी सीएमओ के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। एक मात्र नगर परिषद अमानगंज में स्थाई सीएमओ है शेष सभी प्रभार के सहारे चल रहे है। अफसरों की हालत यह है कि सप्ताह के शुरुआती दिनों में दो दिन कलेक्टर एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी के टीएल बैठक में चले जाते हैं। प्रभार के परिषदों में एक-एक दिन ही जाना हो पाता है। पांच दिवस ऐसे ही निकल जाते है शनिवार और रविवार अवकाश रहता है। कुल मिलाकर महीने में चार दिन नगर परिषदों में मुख्य नगर पालिका अधिकारियों एवं इंजीनियरों के चेहरे स्थानीय निवासी एवं परिषद के कर्मचारी कर पाते है, बाकी काम दूरभाष पर ही अधीनस्थ कर्मचारियों से कराया जाता है! ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि एक सीएमओ, इंजीनियर के लिए एक से अधिक नगर परिषदों का प्रभावी संचालन करना लगभग असंभव हो जाता है। इसका परिणाम यह है कि नगर विकास की गतिविधियां भगवान भरोसे संचालित हो रही है।

दोहरा प्रभार, अधूरा काम

एक अधिकारी के पास कई निकायों का प्रभार होने से किसी भी स्थान पर प्रभावी उपस्थिति संभव नहीं हो पा रही। इसी के चलते फाइलों के निस्तारण में देरी, निर्णय लेने में लापरवाही और कामकाज में सुस्ती साफ नजर आ रही है। वही भुगतान जारी करने में कमीशन की मांग बढ़ गई है, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। स्थिति यह है कि एक अधिकारी सप्ताह के अधिकांश दिन बैठकों और विभिन्न कार्यालयों के चक्कर में ही निकाल देता है। शनिवार-रविवार अवकाश को मिलाकर देखा जाए तो महीने में केवल कुछ ही दिन वह किसी एक नगर परिषद को दे पाता है। इस अव्यवस्था का सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ रहा है। छोटे-छोटे कार्यों के लिए लोगों को बार-बार नगर परिषद कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, फिर भी समय पर समाधान नहीं मिल पा रहा।

कड़े निर्देशों के बावजूद अभी तक बसों में नहीं हो रहा नियमों का पालन

सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को नहीं मान रहे बस संचालक

नवभारत न्यूज

पन्ना, 12 अप्रैल। एनएच पर चलने वाली बसों की हालत तो कुछ हद तक ठीक भी है, लेकिन ग्रामीण रूटों की बसों को देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि वे खस्ताहाल सड़कों पर चल कैसे पाती होंगी।

हालत यह है कि ग्रामीण रूटों पर चलने वाली बसों मे से अधिकांश की पूरी बॉडी हिल रही होती है। कई खिडकियों मे तो कांच भी नहीं होते हैं। सीटें भी फटी व कबाड़ बन चुकी होती हैं। इन बसों पर कार्रवाई नहीं होती हैं

अधिकांश बसों में स्पीड गवर्नर नहीं:- गौरतलब है कि हादसे के तुरंत बाद परिवहन पंत्री ने बसों से ग्रिल हटाने, अनफिट बसों को सड़कों से बाहर करने, बसों में दूसरा दरवाजा और आपातकालीन तीसरा दरवाजा अनिवार्य रूप से लगाने सहित कई निर्देश दिए थे। इसके अलावा बसों के संचालन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती के साथ पालन कराने के निर्देश दिए थे। बसों की अधिकतम सीमा निर्धारण के लिये लगाए जाने वाला स्पीड गवर्नर भी अभी तक अधिकांश बसों मे गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। निर्माणाधीन एनएच, खस्ताहाल घाटी अनफिट बसें हादसों का कारण बन गए हैं।

आए दिन दुर्घटनाग्रस्ती हो रही बसें:- जिले में 4 मई 2015 को हुए बस हादसे के बाद अभी तक करीब दर्जनों हादसे हो चुके हैं। औसतन हर माह एक दो बसें पलट रही हैं। इनमें कुछ लोगों की मौंत हुई, जबकि दर्जनों लोग जिंदगीभर के लिये आपाहिज हो गए। बसों के संचालन मे नियमों का पालन नहीं होने और परिवहन विभाग के इस ओर ध्यान नहीं देने के कारण हालात में सुधार नहीं आ रहा है। ग्रामीण रूटों पर चलने वाली बसों की हालत तो और भी अधिक खराब है। कई बसों के हालात तो यह है कि चाहे आगे से देखों या पीछे नंबर ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। बसों में फस्टे एड बाक्स और फायर सिलेंडर तो भूल ही जाइए।

चेकिंग अभियान का असर नहीं

सुको के निर्देश के करीब पांच साल बाद भी 50 फीसदी से भी अधिक बसो मे काली फिल्म वाले कांच लगे हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी नही हटवा पाए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के अनुसार बसों की रूट, परमिट, फिटनेस और बीमा आदि की जानकारी लिखी होनी चाहिए। बसों में किराया सूची भी चस्पा की जानी चाहिए। चालक और परिचालकों को नेम प्लेट के साथ यूनिफार्म मे होना चाहिए। इनमें से किसी भी नियम का पालन बसों में नहीं किया जा रहा है। यात्रियों को दी जाने वाली टिकटों में भी इसकी कोई जानकारी नहीं होती है।

सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध बेअसर

ग्राहक और दुकानदार कोई प्रतिबंध मानने को तैयार नहीं

नवभारत न्यूज

पन्ना, 12 अप्रैल। शादी-विवाह हो या अन्य कार्यक्रम, सभी में सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग होता है। प्लास्टिक से बने गिलास, कप, कटोरी, चम्मच के बिना कार्यक्रम नहीं होते। थर्माकोल के दोने प्लेट व कप का भी उपयोग होता है। इनका इस्तेमाल सिर्फ एक बार होता है। रिसाइकिलिंग भी कठिन होती है। इसलिए ये पर्यावरण को भी हानि पहुंचाते हैं।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध के लिए जागरुकता अभियान चलाने की बात तो करता है, लेकिन उसका ज्यादा असर नजर नहीं आता। हालांकि, सिंगल यूज प्लास्टिक के विक्रेताओं ने अपना स्टॉक कम कर दिया है, लेकिन कई सामग्री में इसका इस्तेमाल अब भी हो रहा है। सब्जी-फ्रूट खरीदने वाले अमानक पॉलीथिन का ही उपयोग करते हैं। बहुत कम लोग थैला लाते हैं। किराना दुकान व दूसरी सामग्री की पैकिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है।

विकल्प दिया नहीं, लगाया प्रतिबंध

प्लास्टिक के निर्माण एवं उपयोग के सम्बंध में प्रतिबंध को लेकर कारोबारियों ने सिंगल यूज प्लास्टिक क विकल्प दिए बिना रोक को असुविधाजनक बताया। इसके कारण मार्केट का लाखों का कारोबार प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर व्यापारी वर्ग के लोगों ने भी असंतोष जताया है।

यह प्रतिबंधित

सिंगल यूज प्लास्टिक से बने बड्स (इयर बड) गुब्बारों की डंडी, कैंडी, आइसक्रीम की डंडी, कटलरी आइटम प्लेट्स, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, ट्रे, मिठाई का डिब्बा, शादी कार्ड, सिगरेट पैकेट अतिरिक्त आइटम 100 माइक्रोन से कम के फ्लेक्स बैनर, थर्माकोल से बनी वस्तुएं और सजावटी सामग्री आदि।

स्कूलों के सामने कभी भी हो सकता है हादसा

नवभारत न्यूज

पन्ना, 12 अप्रैल। पन्ना नगर में जो प्रमुख बडे स्कूल हैं जो हाईवे किनारे संचालित हो रहे हैं प्रात: खुलने एवं बंद होने के समय छात्रों, अभिभावकों एवं ऑटो टैक्सियों बेतहाशा भीड के चलते रास्ता जाम हो जाता है। इसके लिए प्रशासन को कोई न कोई उपाय खोजना चाहिए ताकि भविष्य में कोई हादसा न घटित हो सके।

ऑटो चालक बच्चों को क्षमता से कहीं अधिक संख्या में बैठाते हैं। इससे बच्चों के हादसे का शिकार होने की आशंका भी बनी रहती है। इन स्कूलों के मेन गेट मुख्य मार्ग पर स्थित हैं। इससे छुट्टी के समय करीब आधा घंटे तक पूरी सड़कपर जाम के हालत बने रहते हैं। गौरतलब है कि केंद्रीय विद्यालय, लिस्यू आनंद स्कूल, रॉयल पब्लिक स्कूल और छत्रसाल कॉलेज के मुख्य गेट मुख्यमार्ग पर खुलते हैं। इससे स्कूल के लगने और बंद होने के समय हमेशा खतरा बना रहता है। इसी मार्ग से बस स्टैंड को आने वाली और यहां से जाने वाली बसों का भी आवागमन होता है। इससे स्कूलों व कॉलेज के खुलने और बंद होने के समय हादसे की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। इसी प्रकार से लिस्यु आनंद स्कूल का मुख्य गेट एनएच 39 में खुलता है। एकसाथ सैकड़ों की संख्या में बच्चों के सड़क में आने से छुट्टी के समय यहां हमेश हादसे की आशंका बनी रहती है। जिला प्रशासन, आरटीओ, यातयात और पुलिस विभाग कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है।

नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा के तहत 25 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन

नवभारत न्यूज

पन्ना, 12 अप्रैल। जिला महिला बाल विकास विभाग द्वारा शासन के निर्देशानुसार 10 से 25 अप्रैल तक नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में आम नागरिकों को अवगत कराया जाएगा।

नारी शक्ति वंदन पखवाड़ा एक उत्सव के रूप में प्रदेश भर में विभिन्न स्तर पर मनाया जाना है, जिसके तहत लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों में नारी शक्ति पदयात्रा आयोजित की जाएगी। इसमें प्रबुद्ध महिलाओं की भागीदारी होगी। युवा वर्ग के द्वारा संदेश लेखन के लिए नारी शक्ति वंदन दीवार तैयार की जाएगी। महिला संगठन, महिला स्वसहायता समूह, लखपति दीदी, लाडली बहना आदि को अभियान से जोड़ा जाएगा। नारी शक्ति वंदन के प्रचार-प्रसार के लिए वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाएगा। त्रि-स्तरीय पंचायतों में भी नारी शक्ति वंदन के संबंध में गोष्ठी एवं सेमीनार इत्यादि आयोजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर डॉ. अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ ग्राम सभा में नारी शक्ति वंदन के संबंध में चर्चा कराई जाएगी। नगरीय निकायों में नारी शक्ति वंदन के संबंध में गोष्ठी, व्याख्यान इत्यादि कार्यक्रम, धार्मिक, सामाजिक, औद्योगिक, व्यापारिक एवं सहकारी संगठनों आदि में नारी शक्ति वंदन के संबंध में गोष्ठी, व्याख्यान तथा इसका पर्याप्त प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कराया जाएगा।

फिर होगी शाला त्यागी बच्चों की तलाश, छात्रावासों में फर्जी छात्र संख्या

नवभारत न्यूज

पन्ना,12अप्रैल। जब नया शिक्षण सत्र प्रारंभ हो चुका है तो सरकारी स्कूलों में कई तरह के प्रयोग शुरू होंगे। उल्लेखनीय है कि सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या कई जगह बहुत न्यून स्थिति में पहुंच जाती है। वहीं कई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो प्रवेश लेने के बाद भी बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं।

इसके अलावा कई ऐसे गरीब बच्चे भी होते हैं जो स्कूलों में दाखिला तक नहीं ले पाते। ऐसे बच्चों की खोजबीन और पहचान कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिये अभियान चलाने के निर्देश दिये जाते हैं। किन्तु जब ऐसे आदेशों का पालन नहीं होता तो उसके परिणाम भी नहीं निकले। जब समीक्षा होती है तो चिन्ता व्यक्त की जाती है कि शाला त्यागी बच्चों की खोजबीन नहीं हो पाई अथवा कई जगह लक्ष्य के अनुसार बच्चों की पहचान नहीं की गई। जबकि निर्देश होते हैं कि खोजबीन के लिये जगह-जगह शिविरों का आयोजन किया जाये और ऐसे बच्चों की पहचान कर सूची तैयार की जाय जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। ऐसे बच्चों की खोज की जाय जो स्कूल छोड़ चुके हैं अथवा स्कूल तक पहुंच ही नहीं पाये। ऐसे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास एवं अन्य छात्रावासों में प्रवेश दिलाया जाय। किन्तु ऐसे छात्रावासों तक शाला त्यागी पहुंच ही नहीं पाते बल्कि फर्जी संख्या में दर्ज रहती है।

पूर्व में दिये गये थे निर्देश- जिला शिक्षा केन्द्र के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि बच्चों की खोज करने के लिये कैम्प का आयोजन किया जाय। कैम्प के माध्यम से ऐसे बच्चों की पहचान की जाय तो किन्हीं कारणों से स्कूल में भर्ती नहीं हो पाये अथवा प्रवेश लेने के बाद स्कूल नहीं गये।

अब देखना है कि इस तरह का अभियान यहां कब तक और कहां कहां चलाया जाता है। कितने बच्चों की पहचान होती है और कितने बच्चों को प्रवेश मिल पाता है। हालांकि ऊपर से योजनायें तो बनती हैं और निर्देश भी होते हैं किन्तु उनका क्रियान्वयन नहीं हो पाता। स्कूलों का नया सत्र जब प्रारंभ होता है तो कभी स्कूल चलो अभियान तो कभी शाला चलो अभियान भी चलाये जाते हैं। इसका उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में प्रवेश दिलाना होता है। ताकि वे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकें। किन्तु अभियान के बाद पता चलता है कि सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने वाले बच्चों से अधिक शिक्षकों की संख्या है।

सरकारी शिक्षा में भी प्रयोग

यह भी देखा जा सकता है कि अब सरकारी शिक्षा में भी नये नये प्रयोग हो रहे हैं। इसके पीछे कारण निजी शिक्षा से प्रतिस्पर्धा करना बताया जा रहा है। यही कारण है कि कभी उत्कृष्ट विद्यालय तो कभी माडल स्कूलों का प्रयोग हुआ। वर्तमान में सीएम राईज और पीएमश्री जैसी स्कूलों का नवाचार हो रहा है। जब समीक्षा होती है तो चिन्ता व्यक्त की जाती है कि शाला त्यागी बच्चों की खोजबीन नहीं हो पाई अथवा कई जगह लक्ष्य के अनुसार बच्चों की पहचान नहीं की गई। इसके चलते जो पुराने स्कूल हैं उनके प्रति जनता को मोह भंग हो रहा है। यही कारण है कि ऐसी स्कूलों में गुणवत्ता का अभाव होने के कारण प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है। हर साल प्रवेश लेने वाले कई बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी स्टाफ व शिक्षक तो बचे रहते हैं, स्थापना व्यय पर उनके करोड़ों की राशि तो सरकारी खजाने से व्यय होती रहती है किन्तु शिक्षा में गुणवत्ता समाप्त होती चली जाती है।

मौसम में आए बदलाव के कारण गर्मी हुई नरम

नवभारत न्यूज

पन्ना, 12 अप्रैल। मौसम के दिन व दिन बदलते मिजाज के कारण एक तरफ तो लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है, लेकिन दूसरी ओर कूलर, एसी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की बिक्री बुरी तरह से प्रभावित हुई है। आंधी तूफान एवं हल्की बारिश के कारण तापमान में अच्छी खासी गिरावट हुई है, जिससे सुबह-शाम की ठंडक बढ़ गई है।

ऐसे में बदलते मौसम में इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के दुकानदारों के चेहरे पर शिकन साफ देखी जा सकती है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि इन दिनों अचानक से बढ़ी ठंडक के कारण कूलर की बिक्री दूर की बात है, यहां तो कूलर में लगने वाली घास तक नहीं बिक रही। मौसम का मिजाज इस बार समझ से परे दिखाई दे रहा है। फरवरी माह से ही गर्मी का दौर प्रारंभ हो गया था और धूप में काफी तेजी दिखाई देने लगी थी। मार्च आते-आते लोगों के एसी और कूलर चलने प्रारंभ हो गए थे, जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में एकदम से काफी रौनक आ गई थी। धड़ल्ले से बिक्री हो रही थी। लेकिन मार्च समाप्त होते होते तथा अप्रेल आते ही एकदम से मौसम में बदलाव देखने को मिला और बारिश शुरू हो गई। इससे मौसम अचानक बदल गया। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकानदारों के अनुसार दुकानों पर काफी ग्राहक आ रहे थे और प्रतिदिन दुकानों से चार से पांच कूलर और एक या दो एसी की बिक रहे थे। मौसम में बदलाव के साथ ही बिक्री पर ब्रेक लग गया। इन दिनों हालात तो यह हो गए हैं कि खरीद दूर की बात है कोई ग्राहक दाम पूछने तक नहीं आ रहे हैं। गर्मी को देखते हुए कारोबारियों ने पहले से ही काफी स्टॉक मंगा लिया था, लेकिन मौसम ठंडा होने से बिक्री ठप हो गई है। इससे व्यापारियों की चिंता बढ़ गई है। फ्लिहाल मौसम की ठंडक ने कारोबारियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल की द्वितीय परीक्षा का आयोजन 7 मई से

पन्ना, 12 अप्रैल। माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल द्वारा आयोजित हाईस्कूल एवं हायर सेकण्डरी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों हेतु द्वितीय परीक्षा का आयोजन आगामी 7 मई से किया जाएगा। पूर्व में आयोजित की जा रही पूरक परीक्षाओं की व्यवस्था अब मण्डल द्वारा समाप्त कर दी गई है। पूर्व में हाईस्कूल में अधिकतम दो विषयों तथा हायर सेकण्डरी में एक विषय में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी ही पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो पाते थे।

जनगणना 2027 अंतर्गत 16 से 30 तक संचालित होगा स्वगणना का कार्य

कार्य निर्धारित समयावधि में कराने के लिए किया गया निर्देशित

नवभारत न्यूज

पन्ना, 12 अप्रैल। जनगणना 2027 अंतर्गत आगामी एक मई से आरंभ होने वाले मकान सूचीकरण एवं गणना कार्य के पूर्व इससे संबंधित स्वगणना का कार्य 15 दिवस पूर्व 16 अप्रैल से शुरू हो जाएगा।

कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी ऊषा परमार द्वारा 30 अप्रैल तक संचालित होने वाले स्वगणना कार्य के संबंध में समस्त तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ एवं नगरीय निकायों के सीएमओ को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। सभी चार्ज अधिकारियों को स्वगणना से संबंधित कार्य सुचारू रूप से निर्धारित समयावधि में संपन्न कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तहसीलदार पन्ना को जिला मुख्यालय पन्ना में निवासरत सांसद एवं विधायकगण सहित जिला पंचायत अध्यक्ष के निवास पर जाकर उनसे स्वगणना की प्रक्रिया पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस क्रम में पन्ना तहसीलदार द्वारा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सहित जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला पंचायत सीईओ से भी संपर्क कर स्वगणना की प्रक्रिया पूर्ण करवाई जाएगी। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगरीय निकाय के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संपर्क कर तथा जनपद पंचायत सीईओ जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संपर्क कर स्वगणना कार्य पूर्ण कराएंगे।

दौधन गांव धरना स्थल पर प्रशासन की टीम ने प्रदर्शनकारियों से की वार्ता

नवभारत न्यूज

पन्ना, 12 अप्रैल। केन-बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत पन्ना टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र स्थित निर्माणाधीन दौधन बांध के समीप विगत 5 अप्रैल से धरने पर बैठे ग्रामीणों से रविवार को पन्ना जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के संयुक्त दल द्वारा धरनास्थल पर पहुंचकर विस्तृत चर्चा की गई। दल में एसडीएम पन्ना संजय कुमार नागवंशी एवं एसडीएम अजयगढ़ आलोक मार्को सहित जल संसाधन विभाग और केन-बेतवा लिंक परियोजना के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों के नेतृत्वकर्ता अमित भटनागर और विस्थापित होने वाले ग्रामीणों का पक्ष सुना गया। वार्ता के दौरान प्रशासनिक

दल ने व्यक्तिगत स्तर पर ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। प्रदर्शनकारियों ने फेल्ड पेमेंट के कारण रुकी मुआवजा राशि और पहले की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही को वापस लेने की मांग उठाई। चर्चा में यह स्पष्ट किया गया कि पूर्व में अमित भटनागर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कुछ तकनीकी कमियां थीं। प्रशासन ने निर्देश दिए कि परियोजना से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां और दस्तावेजों की पूर्ति शीघ्र कर ली जाए, ताकि प्रदर्शनकारी वैधानिक व उचित माध्यम से अपनी बात को ठोस आधार पर रख सकें। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि रूंज, मझगांय और केन-बेतवा लिंक परियोजना से जुड़ी ग्रामवार समस्याओं के निराकरण के लिए एसडीओ स्तर के अधिकारियों के माध्यम से विशेष अभियान चलाया जाएगा। विशेषकर ग्राम गहदरा की शिकायतों के लिए विभागीय अधिकारियों सहित प्रभावितों में से 4 अशासकीय सदस्यों के संयुक्त जांच दल का गठन किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सहमति दी है कि वे आंदोलन समाप्ति के उपरांत इस दल के साथ स्थल निरीक्षण में सहभागी होंगे। प्रशासनिक दल ने सुरक्षा की दृष्टि से सचेत करते हुए बताया कि दौधन गांव का धरना स्थल पन्ना टाइगर रिजर्व का कोर एरिया है, जहां हिंसक वन्य जीवों का सीधा खतरा रहता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि टाइगर रिजर्व के भीतर बिना अनुमति धरना देना वैधानिक नियमों के विरुद्ध है, जिससे विषम कानूनी स्थिति बन सकती है।

रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना - रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के प्रभावित ग्राम विश्रामगंज एंव भुजबई हैं। उक्त प्रभावित ग्रामों के मूल एवं पूरक अवार्ड पारित किए गए हैं, जिसमें कुल 710 खातेदारों को भुगतान योग्य कुल 44 करोड़ 23 लाख 58 हजार 951 रूपए मात्र की राशि स्वीकृत कर 43 करोड़ 86 लाख 63 हजार 205 रूपए राशि का वितरण किया जा चुका है, जबकि 36 लाख 95 हजार 746 रूपए मात्र का भुगतान शेष है। रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत पुर्नवास एवं पुनर्व्यवस्थापन के तहत प्रभावित ग्राम विश्रामगंज है।

मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना

मझगांय मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों के प्रभावित ग्राम मझगांय, बालूपुर, बनहरीकला, कुंवरपुर, हनुमतपुर, बरियारपुर भूमियान, डुंगरहो एवं सब्दुआ हैं। उक्त प्रभावित ग्रामों के कुल 21 मूल एवं पूरक अवार्ड पारित किए गए हैं, जिसमें कुल 1657 खातेदारों को भुगतान योग्य कुल 1 अरब 91 करोड़ 86 लाख 80 हजार 929 रूपए की राशि स्वीकृत कर मुआवजा वितरित किया जा चुका है। मात्र विवादित खातेदारों की राशि वितरण हेतु शेष हैं।

पन्ना जिले में संचालित हैं तीन वृहद परियोजनाएं

वर्तमान में पन्ना जिले में तीन वृहद स्तर की परियोजनाएं संचालित हैं। केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना अंतर्गत निजी भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियों तथा शासकीय भूमि पर स्थित परिसंपत्तियों के प्रभावित ग्राम मरहा, कूड़न, खमरी, गहदरा, कटहरी बिलहटा, कोनी, मझौली, डोंडी हैं। उक्त प्रभावित ग्रामों के मूल एवं पूरक अवार्ड पारित किए गए हैं, जिसमें कुल 1935 खातेदारों की कुल अधिग्रहित भूमि 871.077 हे. के लिए भुगतान हेतु 1 अरब 58 करोड़ 4 लाख 20 हजार 732 रूपए स्वीकृत किए गए। 1734 खातेदारों को 1 अरब 37 करोड़ 1 लाख 45 हजार 542 रूपए का भुगतान किया जा चुका है, शेष 201 खातेदारों को 2 अरब 10 करोड़ 27 सत्ताईस लाख 5 हजार 190 रूपए राशि का भुगतान किया जाना शेष है। ऐसे खातेदारों के बैंक खाते प्राप्त कर भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।